revenue due to export of old and used rig under the free shipping bill.

(c) Matter has been referred to Central Vigilance Commission for their advice.

बैंकों में नान-परफोरमिंग एसेट्स की प्रतिशतता

1662. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **वित्त** मंत्री 3 दिसम्बर, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1202 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नान-परफोरमिंग एसेट्स लगभग 17 प्रतिशत तक हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) उनके कुल अग्रिमों का 17.12 प्रतिशत थीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार 24.78 प्रतिशत और दिनांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार 19.45 प्रतिशत थी।

Proposal for Changes in Public Trust Act

1663. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether Government propose to make changes in the Public Trust Act to control or regularise their deposits specially about the selection of banks by PSUs and Semi-Government Institutions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. P. VEERENDRA KUMAR): No, Sir. Government does not propose to make changes in the Indian Trusts Act, 1882.

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता

1664. **श्रीमती मालती शर्मा:**
श्री राजनाथ सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पालीभीत में इस योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है एवं सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद बैंक अधिकारी कमीशन की मांग करते हैं जिससे बेरोजगार युवाओं को योजना का लाभ उठाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) क्या नैनीताल बैंक, पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) के प्रबंधकों द्वारा भी कमीशन की मांग की जाती है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बैंकों द्वारा मंजूर और संवितरित ऋणों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(राशि लाख रु० में)

	लक्ष्य	मंजूर आवेदन		संवितरित आवेदन	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1993-94	4420	3326	2100.96	2548	1533.97
1994-95	27400	20901	11644.75	13850	7503.87
1995-96	42613	32614	19142.90	25443	14069.19

प्रत्येक व्यक्ति को किए गए भुगतान को दर्शाना व्यवहार्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने सूचित किया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश (पीलीभीत जिले सहित) में या नैनीताल बैंक में इस योजना के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Amount of Actual Remittances on Account of GDR

1665. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 317 given in the Rajya Sabha on the 16th July, 1996 and state:

(a) the amount of actual remittances by Indian companies on account of GDR's during the last three years; and

(b) the enduse of the funds not remitted home?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. P. VEERENDRA KUMAR): (a) As per information made available by the Reserve Bank of India (RBI) the amount of actual remittances (inflow) on account of Euro issues during the last three years are as follows:

Year	Amount US $ Million
1994-95	1947.87
1995-96	145.42
*1996-97	899.17

*(Upto January 1997)

(b) As per the Euro issue guidelines dated 25.11.1995 and revised guidelines dated 19.6.1996 announced by the Government, companies raising Euro issues may retain the proceeds abroad or, may remit funds into India pending the use of funds for the approved enduses. If an issuer company chooses to retain money abroad in order to insulate themselves against exchange risk till the actual approved expenditure matures, it could do so. Deployment, ad interim, of the non-remitted realisations thus retained abroad is governed by the terms of the approval granted by RBI under the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973. RBI, in their approval, stipulate that pending deployment of the funds in approved purposes, as an interim arrangement, the funds could be invested on short term basis subject to the following conditions:

(i) The proceeds of the Euro issues shall be kept abroad either with foreign banks which are rated for short-term obligations as A1 by Standard & Poor or PI by Moody's, or branches of Indian banks abroad